(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ) . – केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ शुल्क, 1975 (1975 का 51) धारा 9 की उप-धारा (7) और धारा 9ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2020 है ।

    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में, -

(क)नियम 2 में, -

(i) खंड (ख) में, -

“(क) “वैसे ही वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादक” शब्दों से आरंभ होने वाले और “उत्पादकों के बारे में होगा” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वैसे ही वस्तुओं के विनिर्माण में समग्रत: लगे घरेलू उत्पादक या ऐसे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पाद का तब के सिवाय बड़ा अनुपात गठित करता है जब ऐसे उत्पादक अभिकथित सहायिकी वस्तु या दूसरे देश से वैसे ही वस्तु के निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं या स्वयं उसके आयातक हैं, : ”;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उत्पादक को आयातक या निर्यातक से तभी संबंधित समझा जाएगा यदि –

(क) उनमें से एक प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दूसरे को नियंत्रित करता है; या

(ख) उनमें से दोनों पर-व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियंत्रित हैं; या

(ग) वे एक साथ इस शर्त के अधीन रहते हुए पर-व्यक्ति को प्रत्क्षत: या अप्रत्यक्षत: नियंत्रित करते हैं कि यह विश्वास करने या संदेह करने के आधार हैं कि संबंध का प्रभाव इस प्रकार का है कि उत्पादक गैर-संबंधी उत्पादकों से भिन्न व्यवहार कर सकें ।

टिप्प्ण : इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, एक उत्पादक को एक अन्य उत्पादक पर नियंत्रण करने वाला समझा जाएगा जब पहला बाद वाले पर वैधत: या प्रचालनात्मक रुप से अवरोध उत्पन्न करने या निदेश देने की स्थिति में है ।

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(गक) "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो अन्वेषणाधीन वस्तु की बाबत सभी तरह से समरुप या समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में, एक अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान नहीं है फिर भी अन्वेषणाधीन उन सभी वस्तु के लक्षणार्थ लगभग समान है ।";

"(गख) "अन्वेषण की अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान आर्थिक सहायता के अस्तित्व की परीक्षा की जाती है ।

(iii) खंड (घ) में "धारा 9क" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 9" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) अभिहित प्राधिकारी तब तक अन्वेषण के आरंभ के उपयोजन का कोई प्रचार करने से बचेगा जब तक अन्वेषण आरम्भ करने का विनिश्चय न किया गया हो ।

स्पष्टीकरण :- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण की अवधि, -

(i) अन्वेषण के आरम्भ की तारीख से छह मास से अन्यून की नहीं होगी;

(ii) बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहित प्राधिकारी न्यूनतम छह मास या अधिकतम अट्ठारह मास पर विचार कर सकेगा ।

(ग) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. परामर्श - (1) नियम 6 के अधीन आवेदन स्वीकार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, और किसी भी दशा में किसी अन्वेषण के आरंभ के पूर्व ऐसे निर्यातक देश की सरकार को, जिसका उत्पाद अन्वेषण के अधीन हो सकेगा, नियम 6 में निर्दिष्ट मामलों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए परामर्श आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि पारस्परिकत: सहमत समाधान निकाला जा सके ।

(2) निर्यातक देश की सरकार को तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए परामर्श जारी रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा जिससे कि अन्वेषण की संपूर्ण अवधि के दौरान पारस्परिकत: सहमत समाधान निकाला जा सके ।"

(घ) नियम 11 के उप-नियम (1) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) वस्तु के विनिर्माण, उत्पाद और निर्यात में लगे व्यक्तियों या उद्यमियों या उद्योगों या अभिहित भौगोलिक क्षेत्रों की सीमित संख्या को प्रदत्त किया गया है"

(ड.) नियम 17 के उप-नियम (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परन्तु अभिहित प्राधिकारी उपक्रम का मॉनीटर करने के लिए सावधिकत: उत्पादक या आयातक से सूचना अभिप्राप्त करेगा और यदि अपेक्षित हो, स्थल पर सत्यापन के कदम उठा सकेगा ।

परंतु यह और कि उपक्रम के किसी अतिक्रमण की दशा में अभिहित प्राधिकारी यथांसभव शीघ्र उपक्रम के अतिक्रमण की सूचना केंद्रीय सरकार को देगा और उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करते हुए तत्काल अनंतिम उपाय को लागू करने की सिफारिश करेगा । अतिक्रमण की दशाओं में ऐसे उपबंधित उपायों के लागू होने से पूर्व नब्बे दिनों से अन्यून उपभोग के लिए प्रविष्ट के उत्पाद पर इन नियमों के अनुसार निश्चायक शुल्क उदगृहीत किया जा सकेगा, किंतु ऐसा पूर्वव्यापी निर्धारण उपक्रम के अतिक्रमण के पूर्व प्रविष्ट आयातों को लागू नहीं होगा ।"

(च) नियम 22 के उप-नियम (2) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे उपक्रम के अतिक्रमण की दशा में, अनंतिम शुल्क उपक्रम के अतिक्रमण की तारीख से या ऐसी तारीख से जो केंद्रीय सरकार प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे उदगृहीत किया गया समझा जाएगा ।"

(छ) नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"24. पुनर्विलोकन – (1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिशुल्क तब तक और आवश्यक विस्तार के साथ प्रवृत्त रहेगा जो कि आर्थिक सहायता द्वारा कारित क्षति की प्रतिक्रिया के लिए हो ।

(2) अभिहित प्राधिकारी प्रतिशुल्क के सतत् अधिरोपण की आवश्यकता का, जहां आवश्यक हो, अपनी निजी पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसे पुनर्विलोकन की आवश्यकता को साबित करती है, आवश्यक सूचना देता है, के अनुरोध पर पुनर्विलोकन करेगा और निश्चायक प्रतिशुल्क के अधिरोपण से युक्तियुक्त कालावधि बीत गई है और ऐसे पुनर्विलोकन पर अभिहित प्राधिकारी इसके प्रत्याहरण के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करेगा जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घरेलू उद्योग को क्षति बनी रहने की संभावना नहीं है या पुन: नहीं हो सकती है यदि प्रतिशुल्क को हटाया जाता है या फेरफार किया जाता है और अब आवश्यक नहीं है ।

(3) अधिनियम के अधीन उदगृहीत कोई निश्चायक प्रतिशुल्क इसके अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी होगा । अभिहित प्राधिकारी, अपनी निजी पहल पर या उस अवधि की समाप्ति से पूर्व युक्तियुक्त कालावधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किए गए सम्यक सारवान अनुरोध पर उस अवधि से पूर्व आरंभ किए गए पुनर्विलोकन पर यह निष्कर्ष निकालने पर कि उक्त प्रतिशुल्क की समाप्ति से सहायता बनी रहने या फिर से होने और घरेलू

उद्योग को क्षति होने की संभावना है, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन आरंभ किया गया पुनर्विलोकन, ऐसे पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा ।

(5) नियम 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22 और 23 के उपबंध पुनर्विलोकन की दशा में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

25. प्रतिशुल्क का परिवंचन – (1) परिवंचन किसी देश और भारत के बीच या किसी देश की व्यक्तिगत कंपनियों और भारत के बीच ऐसे उपायों के अधीन रहते हुए व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रुप में परिभाषित किया जाएगा, जो ऐसी पद्धति, प्रक्रिया या कार्य से उदभूत होता है जिसके लिए अपर्याप्त कारण या शुल्क के अधिरोपण से भिन्न आर्थिक औचित्य नहीं है, और जहां क्षति का साक्ष्य है या यह कि समान वस्तु की कीमत या मात्रा या दोनों के कारण शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कम आंका जा रहा है और मूल या पूर्व अवधारण में यथाअवधारित सहायिकी से आयतित जैसे उत्पाद या उसके भाग या दोनों अब भी आर्थिक सहायता का लाभ उठा रहे हैं ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पद्धति, प्रक्रिया या कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सम्मिलित करता है:-

(क) जहां प्रतिशुल्क के अधीन किसी वस्तु को, प्रतिशुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातक देश सहित किसी देश से भारत में एकत्ररहित, अपरिष्कृत या अपूर्ण रुप में आयातित किया जाता है और भारत में या किसी अन्य देश में एकत्रित, परिष्कृत और संपूरित किया जाता है, तो ऐसे एकत्रीकरण, परिष्करण और संपूरण को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा यदि, --

(i) प्रचालन, प्रतिशुल्क अनवेषण के पश्चात् या ठीक पूर्व आरंभ किया गया या बढ़ाया गया और उनके भाग और संघटकों का आयात प्रतिशुल्क के उदग्रहण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातक देश से किया गया है ; और

(ii) एकत्रीकरण, परिष्करण या संपूरण प्रचालन के पश्चात् एकत्रित, परिष्कृत या संपूरित वस्तु की लागत के पैंतीस प्रतिशत से कम है ;

स्पष्टीकरण । -- "मूल्य" से एकत्रित, संपूरित या परिष्कृत वस्तु की लागत में से आयातित भागों या संघटकों का मूल्य घटाकर अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण ।। - "मूल्य" की संगणना के प्रयोजनों के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार, रायॅल्टी, तकनीकी जानकारी फीस और परामर्श प्रभार से संबंधी संदाय पर हुए व्ययों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

(ख) जहां प्रतिशुल्क किसी वस्तु का आयात, उस वस्तु के विवरण, नाम या मिश्रण के परिवर्तन जैसी प्रक्रिया के पश्चात् प्रतिशुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित मूल देश या निर्यातित देश से भारत में किया जाता है, और यदि वस्तु के विवरण, नाम या मिश्रण के इस

परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु के रूप या प्ररुप में अल्प रूप से परिवर्तन हो जाता है और उससे हुए किसी टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन की परवाह न करते हुए, वहां ऐसे परिवर्तन को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा ।

(ग) जहां प्रतिशुल्क के अधीन किसी वस्तु का आयात प्रतिशुल्क के अधीन न रहते हुए निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से भारत में किया जाता है तो ऐसे निर्यात को प्रवृत्त प्रतिशुल्क का परिवंचन समझा जाएगा, यदि प्रतिशुल्क के उदग्रहण के लिए अधिसूचित निर्यातक या उत्पादक प्रतिशुल्क के अधीन न रहने वाले निर्यातक या उत्पादक या देश के माध्यम से अपने उत्पादों को भारत को निर्यात करने के लिए अपनी व्यापार पद्धति, व्यापार पैटर्न या विक्रय चैनल में परिवर्तन करते हैं ।

(घ) कोई अन्य रीति जहां प्रतिशुल्क इस प्रकार अधिरोपित किया गया है, निष्प्रभावी किया जाता है ।

26. परिवंचन के अवधारण के लिए अन्वेषण का आरंभ – (1) यहां इसके नीचे उपबंध के सिवाय अभिहित प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उदगृहीत प्रतिशुल्क के किसी अधिकथित परिवंचन के अस्तित्व और प्रभाव का अवधारण करने के लिए अन्वेषण आरंभ कर सकेगा ।

(2) आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ परिवंचन-विरोधी अन्वेषण के आंरभ को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व से संबंधित पर्याप्त साक्षय होना चाहिए ।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी अपनी निजी पहल पर अन्वेषण आंरभ कर सकेगा यदि उसका सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से समाधान हो जाता है कि प्रवृत्त प्रतिशुल्क के परिवंचन को इंगित करने वाली परिस्थितियों की विद्यमान्यता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है ।

(4) अभिहित प्राधिकारी प्रवृत्त प्रतिशुल्क के किसी अधिकथित परिवंचन के अस्तित्व और प्रभाव के अवधारण के लिए अन्वेषण आरंभ कर सकेगा ।

परंतु अभिहित प्राधिकारी ऐसे अन्वेषण आरंभ करने के पूर्व निर्यातक देश की सरकार को अधिसूचित करेगा ।

(5) नियम 7 के अधीन साक्ष्य और प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध इस नियम के अधीन किए जाने वाले किसी अन्वेषण यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(6) ऐसा कोई अन्वेषण बारह मास में पूरा किया जाएगा और किसी भी दशा में अभिहित प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अन्वेषण आरंभ करने की तारीख से अट्ठारह मास से अधिक नहीं होगा ।

27. परिवंचन का अवधारण – (1) अभिहित प्राधिकारी, यह अवधारण हो जाने पर कि प्रतिशुल्क का परिवंचन किया गया है, आयातित ऐसी वस्तु जिनपर विद्यमान प्रतिशुल्क का परिवंचन पाया गया है

या मूल उत्पादित या उनसे भिन्न देशों से निर्यातित वस्तु जो पहले ही प्रतिशुल्क के अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए अधिसूचित नहीं है, के आयातों को विद्यमान प्रतिशुल्क के अधिरोपण की सिफारिश कर सकेगा और ऐसा उद्ग्रहण भूतलक्षी प्रभाव से नियम 26 के अधीन अन्वेषण के आरम्भ की तारीख से लागू हो सकेगा ।

(2) अभिहित प्राधिकारी अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए लोक सूचना जारी करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, नियम 26 के अधीन अन्वेषण के आरंभ की तारीख से या ऐसी तारीख से जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की जाए, ऐसी वस्तु के आयातों सहित वस्तु के आयातों पर प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी ।

28. परिवंचन का पुनर्विलोकन – (1) अभिहित प्राधिकारी, जहां आवश्यक है, अपनी निजी पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो पुनर्विलोकन की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए आवश्यक सूचना देता है, यथालागू परिवंचित उत्पाद या परिवंचित करने वाले देश के विरुद्ध प्रतिशुल्क के सतत् अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन कर सकेगा बशर्ते उपायों के अधिरोपण से युक्तियुक्त कालावधि बीत गई हो और ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आंरभ किया गया कोई पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से बारह मास से अनधिक अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा ।

(फा. सं.334/2/2020-टीआरयू)

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना संख्या 1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.) तारीख 1 जनवरी, 1995 को अधिसूचित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2006 सीमाशुल्क् (एन.टी.) तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 123(अ) तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।